## न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रियांबड़ी जिला नागौर राज0

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या – 12/2024

प्रार्थी – शक्तिसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत निवासी बीजाथल तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण– 1. तहसीलदार रियांबड़ी

2. पटवारी हल्का बीजाथल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 07.02.25

### –:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ढ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की काश्त, कब्जासुद व खातेदारी की जमीन ग्राम बीजाथल में खेत खसरा नंबर 1232/107 रकबा 0.3840 हैक्टेयर आई हुई है जिस पर प्रार्थी का काश्त व कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नंबर 1232/107 के पूर्वी तरफ खसरा नंबर 108 रकबा 0.2700 हैक्टेयर राजकीय भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आई हुई है तथा इसके पूर्व में खसरा नंबर 109 कुड़की से आलनियावास जाने वाली मुख्य सडत्रक आई हुई है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1232/107 में आने–जाने व ट्रेक्टर, छकड़ा, हल, बैल आदि ले जाने के लिए कुड़की से आलनियावास जाने वाली सड़क से फंटकर खसरा नंबर 108 की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे रास्ता आया हुआ है जिस रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्य अपने खेत में आने–जाने हेतु करते आ रहे है। प्रार्थी से पूर्व उसके पूर्व भी इसी रास्ता को उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे थे। संलग्न नजरी नक्शा में बताये मार्क ए से बी रास्ता पीढ़ियों से चला आ रहा है। प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार इस रास्ता को बिना किसी रोकटोक के पशु इत्यादि लाने ले जाने आदि के उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। खसरा नंबर 108 सरकारी भूमि है जो किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ता नहीं रहेगा। जिससे प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने व काश्त करने से महरूम हो जायेगा। उक्त रास्ता प्रार्थी के खेतों में

आने–जाने का एकमात्र रास्ता है। सो प्रार्थी उक्त रास्ता अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से अपने खेतों में आने–जाने हेतु मार्क ए से बी 30 फुट चौड़े रास्ते की भूमि प्रार्थी को देने हेतु निवेदन किया व इसकी राशि भी चुकाने को तैयार रहा लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को रास्ता की भूमि नहीं दे रहा है। प्रार्थी रास्ता की भूमि की कीमत राशि नियमानुसार न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है। विवादित रास्ता ग्राम बीजाथल की सरहद में होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1232/107 में आने–जाने व ट्रेक्टर, छकड़ा, हल, बैल आदि ले जाने के लिए कुड़की से आलनियावास जाने वाली सड़क से फंटकर खसरा नंबर 108 की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे होकर संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी 30 फुट चौड़ा रास्ता बएवज कीमत दिलवाया जावे व राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर तरमीम किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रियांबड़ी से वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण करते हुए मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार रियांबड़ी ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2024/5012 दिनांक 11.12.2024 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार खसरा नंबर 1232/107 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है एवं खसरा नंबर 109 ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है जिसमें रियांबड़ी से कुड़की एमडीआर सड़क बनी हुई है। उक्त सड़क व प्रार्थी की खातेदारी के मध्य सरकारी खसरा नंबर 108 रकबा 0.27 हैक्टेयर किस्म गै0मु0मगरा आया हुआ है। प्रार्थी के खेत व आबादी भूमि में बनी सड़क के मध्य संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रकबा 0.0030 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग ली जा रही है। रास्ता संलग्न नक्शानुसार दर्शाया हुआ है।

अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का यही एक मात्र रास्ता है जिसका शुरू से प्रार्थी व उसके पूर्वज उपयोग करते आ रहे है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के पास उपलब्ध नहीं है। यह तहसीलदार रियांबड़ी से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट है। तहसीलदार रियांबड़ी से प्राप्त रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि

व आबादी में स्थित एमडीआर सड़क के मध्य सरकारी खाता की भूमि है जो एक त्रिकोणीय पट्टिका मात्र है और जिसका रकबा मात्र 0.0030 हैक्टेयर अर्थात 30 वर्गमीटर ही बनता है। उक्त भूमि वर्तमान में रास्ते के उपयोग में आ रही है। प्रार्थी पूर्व से ही रास्ते के रूप में आ रही भूमि को रास्ता घोषित करवाना चाहता है जिसके बदले प्रतिफल राशि भी अदा करने का तैयार है। उक्त भूमि का अन्य कोई उपयोग होना भी संभावित नहीं है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत ग्राम बीजाथल के खसरा नंबर 1232/107 रकबा 0.3840 में आने–जाने व ट्रेक्टर, छकड़ा, हल, बैल आदि ले जाने के लिए ग्राम बीजाथल के खसरा नंबर 108 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि में से तहसीलदार रियांबड़ी की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा में प्रस्तावित 0.0030 हैक्टेयर भूमि रास्ता घोषित की जाती है। नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार रियांबड़ी को आदेशित किया जाता है कि रास्ते की भूमि रकबा 0.0030 हैक्टेयर की वर्तमान बारानी भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि की गणना कर प्रार्थी को सूचित करें तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त राशि जमा करवाये जाने पर राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अमल दरामद करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलेक्टर
रियांबड़ी

आज दिनांक 07.02.25 को यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलेक्टर
रियांबड़ी